

(वैट अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: मई 29, 2008

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वैट अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों को किये जाने वाले रिफंड के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है :—

1— रिफंड की धनराशि का कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाला जो बिल बनाया जायेगा उसमें लेखा शीर्षक क्या लिखा जायेगा?

2— कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले बिल का प्रारूप क्या होगा ?
उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है :—

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावली के नियम—51 (3) में निम्न व्यवस्था है :—
नियम—51 (3):— नियम 50 के अध्यधीन अनुज्ञात वापसी और इस नियम के अध्यधीन भुगतान योग्य व्याज की धनराशि का भुगतान इस नियमावली के अध्यधीन कर प्राप्ति के "हेड" से किया जायेगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—बी—1—1302/दस—38/2001, दिनांक 19—4—2001 जो कि "राजस्व वापसियों का लेखा वर्गीकरण" से सम्बन्धित है, के प्रस्तर—3 में स्पष्ट किया गया है कि व्यापार कर की वापसियों को सम्बन्धित मुख्य /उपमुख्य / लघु शीर्ष के अन्तर्गत अलग से उपशीर्ष "90—घटायें—वापसियॉ" खोलकर वर्गीकृत किया जाये ! इस प्रकार विभाग में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों के विरुद्ध रिफंड का लेखा शीर्षक तथा राज्य व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों के विरुद्ध रिफंड का लेखा शीर्षक एवं लेखा^{शीर्ष} कोड कमशः निम्नवत् होंगे :—

0040— बिक्री, व्यापार आदि पर कर

101—केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियॉ

90—घटायें—वापसियॉ

(लेखा^{शीर्ष} कोड—0040001019000)

0040— बिक्री, व्यापार आदि पर कर

102—राज्य व्यापार कर/वैट अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियॉ

90—घटायें—वापसियॉ

(लेखा^{शीर्ष} कोड—0040001029000)

ट्रेजरी बिल का प्रारूप स्पष्ट न होने से बिलों को प्रस्तुत करने में आ रही समस्या के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—5, भाग:1 के प्रस्तर—194 में राजस्व रिफंड के लिए प्रपत्र संख्या—19 निर्धारित है । शासनादेश संख्या—ए—1—78/10—92(14)/85, दिनांक 20—1—1992 के द्वारा कोषागार में प्रचलित कुल 19 देयक प्रपत्र के स्थान पर नवनिर्धारित 6 देयक प्रपत्र दिनांक 1—4—1992 से लागू किया गया है। प्रपत्र की संख्या कम किये जाने के उपरान्त यह प्रपत्र संख्या—19 (संशोधित) रिकार्ड कोड 104—निक्षेप, निक्षेप वापसी, क्षतिपूर्ति देयक प्रपत्र हो गया है। इस संशोधित प्रपत्र संख्या—19 जिसका रिकार्ड कोड 104 है, का प्रारूप इस

परिपत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। इस प्रपत्र पर रिफंड सम्बन्धी विभाग के बिल कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे जिसमें अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत उक्त लेखाशीर्षक दर्ज किया जाये।

कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा यह अनुभव किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से जारी होने वाले रिफंड आदेश के प्रारूप 33 एवं समायोजन के आदेश रूपपत्र 33 अ में आवश्यक संशोधन करते हुए रिफंड आदेश में अनुदान संख्या एवं सुसंगत लेखा शीर्षक के आधार पर निर्धारित ट्रेजरी बिल पर सम्बन्धित अनुदान संख्या / लेखा शीर्षक अंकित कर उन्हें कोषागार में प्रस्तुत किया जा सके। इस सम्बन्ध में स्थिति रपट की जाती है कि रिफंड आदेश में अनुदान संख्या / लेखाशीर्षक के अंकित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। आहरण एवं वितरण अधिकारी प्राप्त रिफंड आदेश के आधार पर कोषागार को भेजे जाने वाले बिल पर वापसी का अनुदान संख्या / लेखाशीर्षक उपरोक्तानुसार अंकित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. समस्त काषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. श्री एस०सी०द्विवेदी / श्री य०सी०दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०।
7. समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
8. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
9. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / (वि०अनु०शा०) / (अपील) / कॉरपोरेट सर्किल / ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
11. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिकारी, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
12. प्रबन्धक, इंसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
13. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
14. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू ऑडिट विंग, स्टेट ऑफिस ऑफ द ए०जी०ऑडिट, 11-सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
15. विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
16. ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।

- १८
17. ज्याइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
 18. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियाँ।
 19. वैट अनुभाग को 100 प्रतियाँ तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियाँ।
 20. समस्त डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
 21. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

८२९(५)०८
(वी०के०एल०श्रीवास्तव)

एडीशनल कमिशनर (लेखा) वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

BC

प्रबन्ध संख्या 19 (संशोधित)

[FORM No. 19]

निषेध, निषेध बापसी/क्षतिपूर्ति देवयक-प्रबन्ध

(व्यावहार निषेधों को छोड़कर)

[अध्याय नं. प्रस्तर-194; अध्याय-पत्रह, प्रस्तर-347]

1. जनपद बा. नाम.....	2. कोपागर बा. नाम.....	3. देवयक बा. अधिक (कब से..... तक तक.....)			
4. रिकाउंट कोड <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>0</td><td>4</td></tr></table>	1	0	4	5. (क) कोपागर बा. कोड.....	6. देवयक घोषों की क्रम-संख्या.....
1	0	4			
	5. (ख) उप कोपागर बा. कोड.....				
7. बाड़चर संख्या.....	8. बाड़चर का दिनांक.....	9. आयोजनागत आयोजनेतर मतदात्य/पारित (जो अनुमति हो मही करें, शेष कार दें)			
(कोपागर द्वारा भरा जाना है)	(कोपागर द्वारा भरा जाना है)				
10. लेखाशीषक का 13 अंकों का कोड + 1 चेक अंक..... (4 मुख्य लेखाशीषक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्लॉरियार शीर्षक)	11. आ० वि० अ० का पदनाम.....				
		12. आ० वि० अ० का कोड.....			
13. अधिष्ठान बा. नाम..... (मुहर लगावी जा सकती है)					
14. अनुदान संख्या.....	15. सोर्स कोड.....	16. सेक्टर कोड.....			
18. स्वीकृति आदेश संख्या (यदि आवश्यक हो प्रतिलिपि संलग्न करें)		17. चेक लेखाकार संख्या.....			
		19. स्वीकृति की तिथि.....			

1. Subs. by G.O. No. A-1-78/X-92-10(14)/85; dated 20th January, 1992 for Form Nos. 19 and 39.

लेखाशीषक सम्बन्धी विवरण : मुख्य लेखाशीषक— उपमुख्य लेखाशीषक— लघुशीर्षक— उपशीर्षक— ब्लॉरियार शीर्षक— बर्तमान में अवशेष की स्थिति	भुगतान का विवरण दिवारण हथा कोड (बड़ी श्रावक हो)	भुगतान का विवरण दिवारण हथा कोड (बड़ी श्रावक हो)
व्यय को उपलब्ध धनराशि शामिल करते हुए व्यय प्राथमिक धनराशि शामिल करते हुए व्यय ईकाइ रु० पै० रु० पै०	66 सकल धनराशि (अधिक समायोजन के बाद)	
	कटीतियों का कोड सहित विवरण	
	1. 2.	
	77 कुल कटीतियों	
	99 शुद्ध देव धराशि (66-77)	
निर्गत चेक का विवरण (केवल चेक द्वारा भुगतान किये जाने की स्थिति में भरा जाना है)		वक्तव्य अधिकारी की मुहरधूक हस्ताक्षर
क्रम सं०..... चेक नंबर किसके नाम चेक की चेक निर्गत चेक निर्गत धनराशि का दिनांक रु० पै०		महालक्ष्मी का व्यापालय के द्वयोग हेतु स्वीकृत रु०.....पै० प्रस्तावित रु०.....पै०
प्रमाण पत्र/मिलान/कोपागर बा. अध्युलि :—		
दिनांक :—	आयोजितानि के दस्तावेज़	लालीकालालाल
टिप्पणी—नुसन् प्रबन्ध संख्या 19 एवं 39 के अध्याय पर अब यह प्रबन्ध प्रयोग किया जायेगा।		

क्रम सं०	निक्षेप का प्रकार	मूल विकल्प का विवरण	धनराशि तथा लेखाशोषणक जिससे जमा किया गया	निक्षेप तुम्हा करने की दावा की	दावा की गयी	अन्युक्ति धनराशि
	जानाकर्ता ज्ञा नाम	चालान मंत्रवा	टिनोंक नाह एवं वर्व	धनराशि	लेखाशोषण का विवरण	तिथि धनराशि

66. सकाल धनराशि
अग्रिम समाधान के बाद

कर्त्तातियों का विवरण:

1.

2.

77. कृत कर्त्तातियों

99. शुद्ध देव धनराशि

प्रमाणित किया जाता है कि इस देवक में प्रमुख किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देव है तथा भूर्य में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समरूप श्रीपत्राक्तायं पृथग् करने के बाद भुगतानादेश निर्गत किया जा रहा है।

1 रु० का
रेखाच्छृं
स्त्राम्य

न्यायाधीश/भजिस्ट्रैट वा अन्य सक्षम अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मुहर

धनराशि.....(अंकों में).....(शब्दों में) प्राप्त किया।

(क) मंत्रानक (यदि इसे है) 1.....2.....3.....

(ख) (i) क्रमांक लिख पर भुगतान द्वारा बालं कोपागारों के प्रदोग हेतु
प्राप्तीय दृढ़ देवक उप कोषाधिकारी

प्रबन्धकारी—
देवक

क्रमांक.....(अंकों में).....(शब्दों में) भुगतान करे।

कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी के हस्ताक्षर

(ii) (क्रमांक लिख भुगतान करने वालं कोपागारों के प्रदोग हेतु)
(अंकों में).....(शब्दों में) भुगतान हेतु यारित किया जाता है।

दृढ़ देवक उप कोषाधिकारी के हस्ताक्षर

(ग) भुगतान प्राप्त किया.....अधिकृत व्यक्ति का नाम.....पता.....
(प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

(घ) चुदांकन (यदि इसे है)

आहरण विवरण अधिकारी के हस्ताक्षर